

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT ESTATES THEKEDARI  
ABOLITION (RE-ENACTMENT AND VALIDATION) ACT, 1970

[U. P. ACT NO. 28 OF 1970]

*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Sarkari Asthan Thekedari  
Vinash (Punah Adhinyaman Tatha Vaidhikaran) Adhinyam, 1970.]*

AN  
ACT

Re-enact the U. P. Government Estates Thekedari Abolition Act, 1958 with certain amendments and to validate action taken thereunder, and to provide for matters connected therewith.

It is hereby enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Government Estates Thekedari Abolition (Re-enactment and Validation) Act, 1970.

Short title.

2. The U. P. Government Estates Thekedari Abolition Act, 1958, hereinafter referred to as the principal Act, is hereby, with effect from June 20, 1964, repealed and re-enacted with the amendments set out in sections 3, 4 and 5.

Re-enactment of U.P. Act I of 1959 with effect from June 20, 1964.

3. In section 2 of the principal Act, in clause (11), at the end, for the full-stop, a comma shall be substituted, and thereafter the following words shall be inserted, namely:—

Amendment of section 2.

“and the expression ‘ceiling area’ shall have the meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, as amended from time to time.”

4. In section 4 of the principal Act, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

Amendment of section 4.

“(b) where under and in accordance with the terms of the lease, the lessee has brought any land included in the lease under his personal cultivation, the lessee shall become hereditary tenant of such land, or where such land exceeds the ceiling area, then of so much of such land as in aggregation with any other land held by him in Uttar Pradesh makes up the ceiling area, and shall be liable as such to pay rent equal or proportionate, as the case may be, to the rent, if any, payable in terms of the lease.”

5. After section 6 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

Insertion of new sections 6-A and 6-B.

“6-A. In respect of any land included in the lease which under and in accordance with the terms of the lease the lessee has brought under his personal cultivation, the determination and demarcation of the ceiling area and the surplus area, the acquisition of and the taking of possession over the surplus area, the determination and payment of compensation for the acquisition of the surplus area, and all other matters connected therewith shall be governed by the provisions of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960.

\*[For Statement of Objects and Reasons, please see: *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated May 2, 1970.]

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 1, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on May 13, 1970.)

[Received the Assent of the President on July 10, 1970 under Article 201, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated July 18, 1970.]

6-B. The State Government shall issue a notification under section 3 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, applying the whole or any provisions of that Act, with exceptions or modifications, to Government Estates in respect of which an order is made under section 3 of this Act, not later than three months from the date of such order, and in the case of Government Estates in respect of which an order has been made or purports to have been made before the commencement of the Uttar Pradesh Government Estates Thekedari Abolition (Re-enactment and Validation) Act, 1970, not later than three months from such commencement."

Validation.

6. Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court or Tribunal to the contrary, anything done or purporting to have been done and any action taken or purporting to have been taken under any provision of the principal act before the commencement of this Act, including, in particular, any notification under sub-section (3) of section 1, any determination of lease under section 3, or the recovery of any rents or other dues under section 4 or the taking over of possession or charge of land or of books, accounts or other documents under section 6, of that Act, shall be deemed to be, and always to have been, as valid as if the provisions of this Act were in force at all material times.

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी-विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970

( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1970 )

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 1 मई, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 13 मई, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 10 जुलाई, 1970 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 18 जुलाई, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी-विनाश अधिनियम, 1958 को कतिपय संशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित करने और तदधीन की गयी कार्यवाही को वैध करने, और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इसकीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

- |  |  |
|--|--|
| 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी-विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970 कहलायेगा ।  | संक्षिप्त नाम  |
| 2—उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी-विनाश अधिनियम, 1958, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, एतद्द्वारा, 20 जून, 1964 से निरस्त किया जाता है और धारा 3, 4 तथा 5 में उल्लिखित संशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित किया जाता है ।  | 20 जून, 1964 से उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1959 का पुनः अधिनियमन |
| 3—मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (II) के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर कामा रख दिया जाय, और तत्पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें, अर्थात् :—<br>“ और पद ‘अधिकतम क्षेत्र’ का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में उसके लिये किया गया हो ।”   | धारा 2 का संशोधन   |
| 4—मूल अधिनियम की धारा 4 के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—<br>“ (ख) जहां पट्टे की शर्तों के अधीन या अनुसार किसी पट्टेदार ने पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि को निजी जोत में ले लिया हो तो पट्टेदार ऐसी भूमि का या जहां ऐसी भूमि अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो तो ऐसी भूमि के उतने भाग का जो उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत किसी अन्य भूमि को मिला कर अधिकतम क्षेत्र को बराबर हो जाय, मौरूसी काश्तकार हो जायगा और इस रूप में, पट्टे की शर्तों के अनुसार देय लगान के, यदि कोई हो, बराबर या, यथास्विति अनुपात में लगान का देनदार होगा ।”   | धारा 4 का संशोधन   |
| 5—मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारार्यें बढ़ा दी जायें, अर्थात्—<br>“ 6—क—पट्टे में सम्मिलित किसी भूमि के सम्बन्ध में जिसे पट्टे की शर्तों के अधीन तथा अनुसार पट्टेदार ने अपनी निजी जोत में ले लिया हो, पट्टेदार की निजी जोत के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961 का लागू किया जाना<br>अधिकतम क्षेत्र तथा अतिरिक्त क्षेत्र का अवधारण तथा सीमांकन, अतिरिक्त क्षेत्र का अर्जन और उस पर कब्जा करना, अतिरिक्त क्षेत्र का अर्जन करने के प्रतिकर का अवधारण और भुगतान, तथा उनसे सम्बन्धित अन्य सभी विषय उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित होंगे । |  |

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 2 मई, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।]

6-ख—राज्य सरकार, ऐसे सरकारी आस्थानों पर, जिनके सम्बन्ध में इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन आज्ञा जारी की जाय, ऐसी आज्ञा के दिनांक से विलम्बतम तीन माह के भीतर, और ऐसे सरकारी आस्थानों पर, जिनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी-विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970 के प्रारम्भ होने के पूर्व आज्ञा दी गयी हो या दी जाने के लिये तात्पर्यित हो, ऐसे प्रारम्भ से विलम्बतम तीन माह के भीतर, 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 2 के अधीन, उस अधिनियम के सम्पूर्ण अथवा किन्हीं उपबन्धों को, अपवाद या परिष्कार सहित, प्रवृत्त करते हुए विज्ञप्ति जारी करेगी।”

वैधीकरण

6—किसी न्यायालय या व्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, मूल अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य और की गयी या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई क्रिया, जिनके अन्तर्गत, विशेष रूप से, उस अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन कोई विज्ञप्ति, धारा 3 के अधीन किसी पट्टे का अवसान, या धारा 4 के अधीन किसी लगान या अन्य देयों की बसुली करना, या धारा 6 के अधीन भूमि या पुस्तकों, लेखों या अन्य लेखों पर कब्जा करना या उन्हें अपने अवधान में लेना भी है, वैध समझी जायगी और सदैव वैध होगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे।